न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः–08 / 2014

निर्णय दिनांकः–11.01.2019

उनवान

श्योजी पुत्र नाथू जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

1. हंसराज पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. जमना देवी पत्नि बजरंगा जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
3. सोसर पुत्री बजरंगा पत्नि बन्नालाल जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा हॉल निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
4. कैलाशी पुत्री बजरंगा पत्नि स्व. मिश्रीलाल जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा हॉल निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
5. समोदरा पुत्री बजरंगा पत्नि केसरलाल जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा हॉल निवासी ग्राम नयागांव जुबानपुरा तहसील टोंक जिला टोंक
6. राजा पुत्री बजरंगा पत्नि छोटू उर्फ रामप्रसाद जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा हॉल निवासी ग्राम नयागांव जुबानपुरा तहसील टोंक जिला टोंक
7. सरपंच ग्राम पंचायत चैनपुरा तहसील निवाई
8. तहसीलदार निवाई

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 451 दिनांक 05.09.2013
ग्राम पंचायत रजवास तहसील निवाई

उपस्थितः–श्री कौशलकिशोर चौधरी वकील अपीलान्ट
श्री रामकल्याण पूनियां वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि ग्राम पंचायत रजवास द्वारा नामान्तकरण सं. 451 दिनांक 05.09.2013 को तस्दीक किया गया है। जिसके अनुसार मृतक बजरंगा पुत्र रूघनाथ के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का कॉलम सं. 9 ता 13 में बाद विचार–विमर्श किये जाने पर स्वीकार किये जाने का उल्लेख किया है। जिससे व्यथित और कुण्ठित होकर अपील निम्न आधारों पर पेश है– बजरंगा पुत्र रूघनाथ जाट के नाम का कोई व्यक्ति गांव गिरधारीपुरा में ही नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध तरीके से खातेदार के पुत्र हंसराज द्वारा शपथ पत्र पेश किये जाने का उल्लेख भी विवादग्रस्त नामान्तरण में किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरण भरवाकर गलत रूप से ग्राम पंचायत में पेश करवा दिया। बजरंगा के पिता का नाम नाथू है और ग्राम पंचायत ने बिना किसी सम्यक जांच पडताल के उक्त नामान्तरण को तस्दीक किया है, जो पंचायत को प्राप्त अधिकारों के विपरीत है। बजरंगा के पिता नाथू के पांच सन्ताने थी, जिनके नाम क्रमशः निम्न प्रकार है– बन्ना, रंगलाल, बजरंगा, श्योजी व छोगा एवं विवादग्रस्त नामान्तरण के मृतक बजरंगा के पिता नाथू भी चार भाई थे, उनमें रूघनाथ, जगनाथ, कल्याण व नाथू है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने हास्यपद तरीके से बजरंगा को रूघनाथ का पुत्र मानते हुये विवादग्रस्त नामान्तरण को तस्दीक किया है। जबकि रूघनाथ की मृत्यु तो बजरंगा के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। अतः अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत रजवास द्वारा नामान्तरण सं. 451 दिनांक 05.09.2013 को विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने एवं नामान्तरण की जांच सम्यक रूप से किये जाने हेतु नामान्तरण तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किये जाने के आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टस की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री रामकल्याण पूरियां एड. ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट्स 2 व 7 के विरूद्ध एकतरफा की गयी। शेष रेस्पोडेन्ट्स को फॉर्मल पक्षकार मानते हुये उभयपक्षों की सहमति से पत्रावली वास्ते बहस जेरकार हुयी।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये बहस में बताया कि ग्राम पंचायत रजवास द्वारा नामान्तकरण सं. 451 दिनांक 05.09. 2013 को तस्दीक किया गया है। जिसके अनुसार मृतक बजरंगा पुत्र रूघनाथ के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का कॉलम सं. 9 ता 13 में बाद विचार–विमर्श किये जाने पर स्वीकार किये जाने का उल्लेख किया है। जिससे व्यथित और कुण्ठित होकर अपील निम्न आधारों पर पेश है– बजरंगा पुत्र रूघनाथ जाट के नाम का कोई व्यक्ति गांव गिरधारीपुरा में ही नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध तरीके से खातेदार के पुत्र हंसराज द्वारा शपथ पत्र पेश किये जाने का उल्लेख भी विवादग्रस्त नामान्तरण में किया गया

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरण भरवाकर गलत रूप से ग्राम पंचायत में पेश करवा दिया। बजरंगा के पिता का नाम नाथू है और ग्राम पंचायत ने बिना किसी सम्यक जांच पडताल के उक्त नामान्तरण को तस्दीक किया है, जो पंचायत को प्राप्त अधिकारों के विपरीत है। बजरंगा के पिता नाथू के पांच सन्ताने थी, जिनके नाम क्रमशः निम्न प्रकार है– बन्ना, रंगलाल, बजरंगा, श्योजी व छोगा एवं विवादग्रस्त नामान्तरण के मृतक बजरंगा के पिता नाथू भी चार भाई थे, उनमें रूघनाथ, जगनाथ, कल्याण व नाथू है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने हास्यपद तरीके से बजरंगा को रूघनाथ का पुत्र मानते हुये विवादग्रस्त नामान्तरण को तस्दीक किया है। जबकि रूघनाथ की मृत्यु तो बजरंगा के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत रजवास द्वारा नामान्तरण सं. 451 दिनांक 05.09.2013 को विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने एवं नामान्तरण की जांच सम्यक रूप से किये जाने हेतु नामान्तरण तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किये जाने के आदेश फरमावें। वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बहस में बताया कि अपीलान्ट श्योजी ने अपने भाईयों को न तो अपीलान्ट बनाया और न ही रेस्पोडेन्ट बनाया है। बजरंगा नाथू का ही पुत्र था, गोदनामा है। बजरंगा के वारिसान के नाम नामातंकरण हुआ है, उस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया है। उक्त अपील तथ्यहीन है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नामांतकरण संत्र 451 दि. 05.09.2013 ग्राम पंचायत रजवास को खारिज कर रिमाण्ड किया जाना उचित है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। नामांतकरण सं. 451 दिनांक 05.09.2013 ग्रा.पं. रजवास को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/1/19

हरिताभ कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
निवाई
उपखण्ड अधिकारी निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner